सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

साधिकार प्रकाशित

Published by Authority

आश्विन 07, बुधवार, शाके 1943-सितम्बर 29, 2021
Asvina 07, Wednesday, Saka 1943- September 29, 2021

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

गृह (ग्रुप-9) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, सितम्बर 27, 2021

विषयः- मूल निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने के संबंध में आवेदक द्वारा आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी तथा अन्य दस्तावेजों की ऑन लाइन स्केन कॉपी अपलोड करने की आवश्यकता को समाप्त करने के संबंध में ।

संख्या प.15/1(32)गृह-9/61पार्ट3 :-राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.15/1(32)गृह-9/61पार्ट2 दिनांक 18-12-2009 के द्वारा राज्य में नेशनल ई-गवर्नेस प्लान के अन्तर्गत राज्य की विभिन्न प्रकार की सेवाओं को नागरिक सेवा केन्दों पर इलेक्ट्रोनिक डिलिवरी के माध्यम से जन सामान्य को उपलब्ध कराए जाने की दृष्टि से राज्य में कार्यरत ई- मित्र केन्द्रो (एकीकृत नागरिक सेवा केन्द्र) एवं जिले में नेशनल ई-गवर्नेस प्लान के तहत स्थापित किए गए e-mitra के माध्यम से ऑन लाइन आवेदन करने तथा सक्षम अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से उक्त मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने को अनुमान्य किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

उपरोक्त व्यवस्था जारी होने के फलस्वरूप प्रायः यह अनुभव किया गया है कि आवेदक द्वारा आवेदन पत्र एवं उसके साथ प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की संख्या अत्यधिक हो जाती है, जिनको आवेदक द्वारा ऑन लाइन प्रस्तुत करना होता है। यह जन साधारण के लिए बहुत ही असहज होता है। ऑन लाइन व्यवस्था में इतने अधिक दस्तावेजों की जांच करना, उनका परीक्षण करना तथा हार्ड कॉपी, सधारित करना सक्षम अधिकारी के कार्यालयों के लिए भी जटिल कार्य होता है।

वर्तमान में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने की उक्त कठिन प्रक्रिया को सरलीकरण करने के उद्देश्य से वर्तमान में निर्धारित मूल निवास प्रमाण पत्र के आवेदन पत्र को संशोधित किया गया है तथा आवेदक द्वारा सलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को भी कम किया जा रहा है। संषोधित मूल निवास प्रमाण पत्र का प्रारूप अनुलग्नक-ए पर संलग्न है।

वर्तमान में आवेदन पत्र के साथ सलग्न किये जाने वाले ऐसे समस्त दस्तावेजों जिनके माध्यम से आवेदक को आवश्यक सूचनाएं जानकारी प्रस्तुत करनी होती थी, अब ऐसी समस्त सूचनाएध्जानकारी जो आवेदक के संबध में सत्यापित करनी आवश्यक हो उनको State Resident Data Hub, Jan Aadhar data, Raj E-vault and other available metadata in State data respository पर उपलब्ध सूचनाओं/ जानकारी के आधार पर सत्यापित (validate) की जा सकेंगी।

ऐसी विशेष परिस्थितियो जहाँ पर ऑन लाइन डाटा /सूचना उपलब्ध नहीं हो तो ऐसी सूचनाए एव जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से, हार्ड कॉपी में सक्षम अधिकारी द्वारा प्राप्त की जा सकेंगी ।

उपरोक्त ऑन लाइन सत्यापन की प्रक्रिया सम्पूर्ण राज्य मे दिनाक 24-09-2021 से प्रभावी होगीा

भवदीय,

वी. सरवन कुमार,
विशिष्ठ शासन सचिव, गृह।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय,जयपुर।